मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 695/डी.एम.सी./ब-7/चार भोपाल, दिनांक 29.4.2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषयः-केन्द्रीय योजनाओं के संबंध में।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से केन्द्रीय योजनाओं के स्वरुप में परिवर्तन कर उन्हे चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है यथा श्रेणी ए,बी,सी एवं डी। इस परिवर्तन के फलस्वरुप राज्य पर पडने वाले वित्तीय प्रभाव की समीक्षा हेतु दिनांक 24-4-2015 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई ।

2. बैठक में हुई चर्चा के अनुसार निम्नानुसार निर्णय लिय गये हैं:-

i. केन्द्रीय करों मे राज्य के हिस्से में वृद्धि के फलस्वरुप राज्य को प्राप्त होने वाली आतिरिक्त राशि का उपयोग राज्य की प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाए।

ii. अपर मुख्य सचिव वित्त द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ विभागों में संचालित हो रही योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की जाए। जिससे योजना को निरंतर रखने/स्वरुप परिवर्तन करने/बन्द करने के संबंध में निर्णय लिये जा सके। इस समीक्षा में राज्य योजना आयोग को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

iii. कण्डिका 2-ii में उल्लेखित कार्रवाई होने तथा श्रेणी बी योजनाओं के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक, इस श्रेणी की जिन योजनाओं में नवीन निर्माण कार्य/नवीन परियोजनाओं/नवीन गतिविधियां शामिल है, उन्हे स्थगित रखा जाए। किन्तु जिन योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारंभ हो गये हैं उन्हे निरंतर रखा जाए। यद्यपि श्रेणी बी की योजनाओं के संबंध में योजनाओं के अन्तर्गत चालू गतिविधियों को निरंतर रखा जाए।

iv. श्रेणी सी एवं श्रेणी डी की योजनाओं के तहत निर्मित दायित्वों के लिये इस वर्ष में आवश्यक धनराशि का प्रावधान रखा जाना है। वर्तमान बजट में यदि इस राशि से अधिक राशि का प्रावधान है तो उसे समर्पित कराया जाए।

v. श्रेणी सी तथा डी में समस्त नवीन निर्माण कार्यों/नवीन कार्यों/ परियोजनाओं/ गतिविधियों को लिया जाना प्रतिबंधित किया जाये।

vi. अनुपात परिवर्तन के परिणाम स्वरुप किसी योजना के लिए बजट में अधिक प्रावधान रखा गया है तो इस राशि का अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अत्यन्त आवश्यकता होने पर वित्त विभाग की पूर्व सहमति से ही पुनर्विनियोजन किया जा सकता है।

vii. परिवर्तित अनुपात के अनुरूप योजनाओं की कुल लागत में परिवर्तन हेतु सक्षम वित्तीय समिति की बैठकें आयोजित कर दिनांक 30 जून 2015 तक परिवर्तित स्वरूप में समस्त योजनाओं का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

viii. श्रेणी बी, सी एवं श्रेणी डी की योजनायें जिन्हें राज्य शासन व्दारा समाप्त किया जाना है उसकी समीक्षा वित्त विभाग एवं राज्य योजना आयोग व्दारा संयुक्त रूप से की जाये। यह कार्यवाही 31 मई तक पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगें। अतः तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

29.4.2015

(आशीष उपाध्याय)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 696/डी.एम.सी./ब-7/चार

भोपाल, दिनांक 29.4.2015

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन।
3. प्रमुख सलाहकार, राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश शासन।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश शासन।

29/4/2015

(वीरेन्द्र कुमार)
उप सचिव एवं संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग